

जन हितैषी

अफस्सा का औचित्य

केंद्र सरकार ने गुरुवार को उत्तर पश्चीम राज्यों की दृष्टि से बड़ा कदम उठाने हुए असम, नगालैंड व मणिपुर से सशाक्त बल विशेषाधिकार कानून (अफस्सा) का कुछ खास इलाकों तक का फैलाव किया। यह विशेष कानून अब इन राज्यों के कुछ खास इलाकों तक सीमित होगा। इस कानून द्वारा दिया गया है। उत्तर-पश्चीम के राज्यों को कानून को हटाने के लिए लंबे समय से मांग हो रही है। हालांकि केंद्र ने अभी इसे पूरी तरफ हटाने की बजाए कुछ गड़बड़ी वाले क्षेत्रों तक सीमित करने का फैलाव किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सरकार के इस फैलाव का स्थान नियमित किया है। शाह ने कहा कि दिल्ली के उपरिक्षेत्र महसूस कर रहे तभी उत्तर-पश्चीम राज्यों के प्रधान प्रीमिंस नरेंद्र मोदी की बबनवद्धता के कारण उत्तर-पश्चीम के राज्यों को कानून को हटाने के लिए लंबे समय से मांग हो रही है। हालांकि केंद्र ने अभी इसे पूरी तरफ हटाने की बजाए कुछ गड़बड़ी वाले क्षेत्रों तक सीमित करने का फैलाव किया है।

अफस्सा छोटी दिल्ली पुराना कानून है। इसे एक सिंघार 1958 को असम, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मियांग और नगालैंड में लगू किया गया था। इन राज्यों की सीमाएं चीन, भूटान और बांगलादेश से मिलती हैं। इन राज्यों को राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून-व्यवस्था की दृष्टि से काफी संवेदनशील बनाते हुए इस कानून को लगाने की लंबे समय से मांग होती रही है। मणिपुर की सामाजिक कार्यकर्ता इसमें शर्मिला तो इस कानून के विरोध में 16 साल तक अनशन पर रही।

अफस्सा छोटी दिल्ली पुराना कानून है। इसे एक सिंघार 1958 को असम, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मियांग और नगालैंड में लगू किया गया था। इन राज्यों की सीमाएं चीन, भूटान और बांगलादेश से मिलती हैं। इन राज्यों को राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून-व्यवस्था की दृष्टि से काफी संवेदनशील बनाते हुए इस कानून को लगाने की लंबे समय से मांग होती रही है। अफस्सा का दिया गया सीमित किया जाना एक सकारात्मक कदम है। सेना को विशेषाधिकारों से लैस करने वाले एक खत्म कानून और दमकराना कानून को पूर्णतः की जनता में लंबे समय तक एक खत्म कानून और दमकराना कानून को पूर्णतः की जनता में लंबे समय तक एक खत्म कानून और दमकराना कानून को पूर्णतः की आड़ में कई बेगुनाह नीजीवान सैन्य कार्यवाई का शिकार बना इसलिए अफस्सा को हटाने की लंबे समय से मांग होती रही है। मणिपुर की सामाजिक कार्यकर्ता इसमें शर्मिला तो इस कानून के विरोध में 16 साल तक अनशन पर रही।

मृदुता के साथ इड्टा, निर्मलता के साथ निणियिकता



“
ज़मीन से जुड़े और टेक्नोलॉजी
के उपयोग की समझ रखने
वाले भूपेन्द्र पटेल के
नेतृत्व में गुजरात चौतरफा
विकास करेगा
”



माननीय मुख्यमंत्री
श्री भूपेन्द्रभाई पटेल के
नेतृत्व में

200

दिनों की जन सेवा की अथक परिश्रम यात्रा

मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र पटेल ने 200 दिनों में राज्य में 61 हजार किलोमीटर की यात्रा कर सघन लोक संपर्क किया, सरलता व सहजता से जनता के साथ चर्चा की, विभिन्न जन-हितकारी पहल को लागू किया और पूरे राज्य में विकास की एक नई लहर को शुरू करते हुए अपनी एक नई पहचान स्थापित की है।



- गुजरात के इतिहास में अब तक के सबसे बड़े 2 लाख 44 हजार करोड़ रुपए के बजट की प्रस्तुति

- एक हजार दिनों की देखभाल-स्वस्थ रहे माता और बाल', के मंत्र के साथ महिलाओं को पोषण युक्त आहार देने के लिए गुजरात सरकार 850 करोड़ रुपए खर्च करेगी। 1000 दिनों तक गर्भवती महिला को पोषण युक्त आहार दिया जाएगा

- किसान भाइयों के हित में 'गुजरात प्राकृतिक कृषि विकास बोर्ड' का गठन करके रसायन से युक्त खेती से मुक्ति। गुजरात का डांग 100% प्राकृतिक खेती वाला देश का पहला जिला बना

- मुख्यमंत्री गौमाता पोषण योजना द्वारा गौशाला, पांजरापोल और द्रस्ट संचालित संस्थाओं का अवसंरचनात्मक विकास

- नल से जल कार्यक्रम के अंतर्गत तीव्र गति के साथ कार्यों को कार्यान्वित कर साल 2022 के अंत तक गुजरात को 100% नल से जल घोषित करने का संकल्प

